

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

04 OCT 2019

क्रमांक : प01(12)एमई/ग्रुप-1/2003

जयपुर, दिनांक

आदेश

04 OCT 2019

डॉ० मनीष चतुर्वेदी (जन्म तिथि 10.06.1970), वरिष्ठ आचार्य, नेफ्रोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर का चयन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), जोधपुर में Additional Professor, Nephrology के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानों के तहत उनको राज्य सेवा से एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० मनीष चतुर्वेदी, वरिष्ठ आचार्य, नेफ्रोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से

(मोहन लाल वर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
6. डॉ० मनीष चतुर्वेदी, वरिष्ठ आचार्य, नेफ्रोलोजी मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
7. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिव शंकर अग्रवाल)  
शासन सहायक सचिव